नगर निगम रोहतक की दिनांक 11.11.2013 को हुई सामान्य बैठक की कार्यवाही रिर्पोट

आज दिनांक 11.11.2013 को प्रातः 11:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्रीमती रेनू, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्री राजबीर, सदस्य वार्ड नं0–1, नगर निगम, रोहतक।
2. श्रीमती ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0–2, नगर निगम, रोहतक।
3. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0–3, नगर निगम, रोहतक।
4. श्री सूरजमल, सदस्य वार्ड नं0–5, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती सरिता, सदस्य वार्ड नं0–7, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमती उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0–8, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0–9, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0–10, नगर निगम, रोहतक।
9. श्रीमती अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0–11, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0–12, नगर निगम, रोहतक।
11. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0–13, नगर निगम, रोहतक।
12. श्रीमती नीरा, सदस्य वार्ड नं0–14, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री अजय कुमार जैन, सदस्य वार्ड नं0–15, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0–16 एवं उप–मेयर, नगर निगम, रोहतक।
15. श्री जय किशन, सदस्य वार्ड नं0–17, नगर निगम, रोहतक।
16. श्रीमती पूनम, सदस्य वार्ड नं0–18, नगर निगम, रोहतक।
17. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0–19, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम मेयर नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों, आयुक्त नगर निगम रोहतक तथा नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों का बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया। बैठक में एजेंडा पर चर्चा करने से पूर्व सभी उपस्थित पार्षदों द्वारा प्रस्तावना दी कि प्रैस/मीडिया से सम्बन्धित पत्रकारों तथा छायाकारों को नगर निगम की बैठक में हाजिर रहने की स्वीकृति दी जाये। इस प्रस्ताव को सभी उपस्थित पार्षदों ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसके उपरांत प्रैस/मीडिया से सम्बन्धित पत्रकारों तथा छायाकारों को नगर निगम की बैठक में उपस्थित रहने की स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात पार्षदों द्वारा एजेंडा मे वर्णित मदों पर क्रमवार चर्चा करके निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

मद संख्या	एजेंडा	निर्णय
1.	नगर निगम में प्रत्येक वार्ड के लिए (1 से 20) मुरम्मत दल होना चाहिए जो केवल मुरम्मत सेवाओं के लिए हो।	कार्यकारी अभियन्ताओं को आवश्यक मुरम्मत कार्य हेतु एक लाख रू0 प्रति कार्य की स्वीकृति हेतू अधिकृत किया हुआ है। सम्बन्धित पार्षद लिखित रूप में कार्य बारे नोडल ऑफिसर को सूचना देगा तथा नोडल ऑफिसर सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता को भेजेगा। सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता सूचना प्राप्ति उपरांत 15 दिन के अन्दर कार्य आरंभ करवाना सुनिश्चित करेगा।
2.	प्रत्येक वार्ड में विकास कार्य करवाने के लिए कम से कम 10 लाख रूपये की पार्षद के पास अनुमति हो । जैसे टूटी हुई पुलिया, सड़के, नालियाँ आदि को बनावा व रिपेयर करवा सके।	सम्बन्धित पार्षद की सिफारिश से आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाये जायेगे। पार्षद नोडल ऑफिसर को Requisition देगा, जिसको सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता को भेजा जायेगा। सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता एक माह के अन्दर इस की प्रशासनिक स्वीकृति आयुक्त, नगर निगम से प्राप्त करेगा अथवा कार्य न करवाये जाने की सूरत में लिखित रूप में सम्बन्धित पार्षद को सूचित करेगा। इसके अतिरिक्त दोनों कार्यकारी अभियन्ताओं

		को निर्देश दिये कि प्रत्येक कार्य को करने हेतु तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य आरंभ व समाप्ति समयावधि निश्चित करने के लिए आयुक्त, नगर निगम को प्रस्तावना प्रस्तुत करें। आयुक्त की स्वीकृति उपरांत इसे सभी पार्षदों को अवगत करवाया जायें तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक कार्य के वर्क आर्डर की प्रति मेयर/वरिष्ठ उपमेयर/उपमेयर तथा सम्बन्धित पार्षद को भेजी जायें।
3.	प्रत्येक वार्ड के पार्षद को कम से कम 60 लाईट सैट उपलब्द करवाए जाए ताकि प्रत्येक वार्ड में स्ट्रीट लाईट व्यवस्था सुचारू हो तथा इस कार्य का सर्वे आदि करवाकर अतिशीघ्र करावाया जाए।	पार्षद की सिफारिश से आवश्यकतानुसार स्ट्रीट लाइटें लगवाई जाऐंगी। सहायक अभियंता (बिजली) ने बताया कि पार्षदों की अनुशंसा पर प्रत्येक वार्ड में दिनांक 18.12.2013 तक 100 लाइटें लगवा दी जाऐंगी। वर्तमान ठेकेदार द्वारा प्रत्येक वार्ड हेतू नई स्ट्रीट लाइटें लगवाने के लिए 2 इलैक्ट्रीशियन उपलब्ध करवाऐ जाएंगे। स्ट्रीट लाईट मुरम्मत का कार्य शिकायत प्राप्ति से 48 घंटे के अन्दर करवाने की समय सीमा भी निर्धारित की गई है। आयुक्त, नगर निगम ने दिनांक 21.11.2013 तक बिजली शिकायत केन्द्र पर ठेकेदार के माध्यम से वाईस लोजर सहित कम्पयूटर लगाने हेतू सहायक अभियंता (बिजली) को निर्देश दिए।
4.	प्रत्येक वार्ड में कोई भी विकास कार्य आदि हो तो, कार्य आरम्भ होने से पहले अनापति प्रमाण पत्र और कार्य पूर्ण होने के बाद कार्य संतोषजनक का प्रमाण पत्र सम्बन्धित बार्ड के पार्षद से लिया जाए तथा मेयर की संतुष्टि व स्वीकृति के बाद ही बिल की कार्यवाही अमल में लाई जाए और नगर निगम द्वारा किसी भी प्रकार के पत्राचार पर मेयर की स्वीकृति होना आवश्यक हो ।	नगर निगम द्वारा करवाए जानें वाले विकास कार्यों की गुणवता जॉच हेतु प्रत्येक पार्षद द्वारा नागरिक भागीदारी अधिनियम,2009 के अनुसार समितियों का गठन किया जाए। इस समिति का चेयरमैन सम्बंधित पाषर्द होगा। ठेकेदार के बिल की अन्तिम अदायगी सम्बधित वार्ड पार्षद की सिफारिश उपरांत ही की जायेगी।
5.	शहर में जगह जगह घूम रहे आवारा पशुओं आदि को पकड़ने के लिए एक विशेष दल होना चाहिए जिससे भविष्य में किसी भी अनहोनी दुर्घटना होने से बचा जा सके ।	आवारा पशुओं हेतु निगम की गऊशाला स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य हेतु मेयर द्वारा एक समिति गठित की जायेगी। निगम क्षेत्र में बंदरों को पकड़ने का अभियान कार्य जारी रखा जायें। इन बन्दरों को छोड़ते समय विडियोंग्राफी/फोटोग्राफी करवाई जाये।
6.	नगर निगम रोहतक की सीमा में चारों तरफ से आने वाले रास्तों पर आवगमन स्वागत बोर्ड लगाए जाए ।	स्वीकार है। इस कार्य पर अतिशीघ्र नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु कार्यकारी अभियन्ताओ को निर्देश दिये गयें।
7.	समय समय पर नगर निगम रोहतक में आने वाली विभिन्न ग्रान्टों की सूचना मेयर, वरिष्ठ उप.मेयर, उप.मेयर व पार्षदों को दी जाए तथा सम्बन्धित ग्रान्ट द्वारा जो भी कार्य करवाने से पहले उसकी स्वीकृति मेयर, वरिष्ठ उप.मेयर, उप.मेयर व सम्बन्धित पार्षदों को दी जाए तथा करवाए गए कार्य की सुचना भी उक्त सभी को दी जाए ।	समय–2 पर नगर निगम में आने वाली विभिन्न ग्रांटों तथा सभी किये जाने वाले विकास कार्यो का विवरण निगम की Website पर सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता द्वारा 15 दिन के अन्दर–2 उपलब्ध करवाया जाये।

8.	नगर निगम रोहतक में कुल कर्मचारी कितने है, वह कहॉ कहॉ पर अपनी सेवाएँ दे रहे है व कितने कर्मचारी निगम से है, कितने कर्मचारी प्रतिनियुक्ति है (किस किस विभाग से है), कितने स्थाई कर्मचारी है व कितने अस्थाई कर्मचारी है, कितने कर्मचारी अनुबंध आधार पर है और कितने कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर नियुक्त है । इसकी सपूंर्ण जानकारी पद व नाम सहित सूची बनाकर मेयर, वरिष्ठ उप.मेयर, उप.मेयर व पार्षदों के कार्यालय में भेजे ।	नगर निगम कर्मचारी संबंधी सभी प्रकार की वांछित जानकारियां एक माह के अन्दर–2 निगम की Website पर अनुभाग अधिकारी (स्थापना) द्वारा उपलब्ध करवाई जाये।
9.	नगर निगम सीमा में सफाई व्यवस्था को दुरूस्त बनाने के लिए हर वार्ड में 20 सफाई कर्मचारी अतिरिक्त लगाए जाए व वर्तमान में कितने सफाई कर्मचारी काम कर रहे है उनकी सूची नाम व फोन नम्बर सहित मेयर, वरिष्ठ उप–मेयर, उप–मेयर व सम्बन्धित पार्षदों को दी जाए ।	पार्षद की देख–रेख में दिनांक 31.12.2013 तक 16 सफाई कर्मचारी तथा एक ट्रैक्टर ट्राली प्रति वार्ड अतिरिक्त तौर पर लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस कार्य की अदायगी सम्बधित पार्षद द्वारा सिफारिश किये जाने उपरांत ही की जाये।
10.	विकास कार्य के लिए पार्षद अपने बार्ड में वर्ष में 20 लाख रूपये के कार्य करवा सके इसकी व्यवस्था करवाई जाए ।	सम्बन्धित पार्षद की सिफारिश से आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाये जायेगे। पार्षद नोडल ऑफिसर को Requisition देगा, जिसको सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता को भेजा जायेगा। सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता एक माह के अन्दर इस की प्रशासनिक स्वीकृति आयुक्त, नगर निगम से प्राप्त करेगा अथवा कार्य न करवाये जाने की सूरत में लिखित रूप में सम्बन्धित पार्षद को सूचित करेगा।
11.	नगर निगम सीमा में किसी भी प्रकार का नक्शा आदि पास किया जाता है या अवैध निर्माण तोड़ा जाता है तो उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पहले सूचना मेयर, वरिष्ठ उप.मेयर, उप.मेयर व सम्बन्धित पार्षद को दी जाए ।	सहायक नगर योजनाकार स्वीकृत/अस्वीकृत नक्शों की सूची नगर निगम Website पर उपलब्ध करवायें।
12.	नगर निगम रोहतक में जाम से निजात पाने के लिए जहॉ उचित हो वहॉ पर ट्रेफिक लाईट की व्यवस्था की जाए तथा लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक वार्ड में पार्को का सौन्दर्यकर्ण करवाया जाना उचित है। कार्य को आगामी मिटिंग तक पूरा करवाया जाए ।	कार्यकारी अभियंता–I ने बताया कि शहर में स्थित खराब ट्रैफिक लाइटें दिनांक 11.12.2013 तक चालू करवा दी जायेगी। दोनों कार्यकारी अभियंताओ को अपने–2 क्षेत्र में स्थित पार्कों के सौन्द्रीयकरण का कार्य दिनांक 31.12.2013 तक पूरा करनें के निर्देश दिए गए। पार्कों में पानी का प्रबंध, झूले, ट्रैक व बैंच आदि का प्रबंध किया जाये। पार्कों के रख रखाव का कार्य रेजिडैंट वैलफेयर एसोसियेशन के माध्यम से करवाया जाये। उपनिगम आयुक्त को इस कार्य हेतू नोडल आफिसर नियुक्त किया जाता है।
13.	नगर निगम रोहतक द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यो की ग्रान्टों का वितरण प्रत्येक वार्ड में समान रूप से किया जाए ।	सभी वार्डों में आवश्यकतानुसार विकास कार्य करवाये जायेगें।
14.	नगर निगम सीमा में जहॉ पर भी कोई विकास कार्य शुरू किया जाए तो मेयर, वरिष्ठ उप.मेयर, उप.मेयर व सम्बन्धित पार्षद द्वारा उदघाटन	छोटे एवं मुरम्मत कार्यों के लिए उद्घाटन पत्थर लगाना उचित नहीं है। कार्य के अनुसार उचित नियमानुसार कार्रवाई की जाये।

	करवाया जाए तथा उस कार्य का शिलान्यास पत्थर भी लगवाया जाए ।	
15.	प्रत्येक वार्ड के पार्षद को नगर निगम द्वारा एक सिम व एक मोबाइल दिया जाए व जिसके बिल की सीमा एक हजार रूपये तक हो ।	स्वीकार है। सरकार को स्वीकृति हेतु केस भेज दिया जाये।
16.	नगर निगम रोहतक में भी गुडगॉव की तर्ज पर प्रत्येक पार्षद को अपने वार्ड में कैम्प ऑफिस खोलने की जगह उपलब्ध करवाई जाए ।	स्वीकार है। प्रत्येक पार्षद उपयुक्त भवन / स्थान चिन्हित करके सम्बन्धित कार्यकारी अभियन्ता को आगामी कार्रवाई हेतु सूचित करें।
17.	नगर निगम रोहतक में चल रहे विकास कार्यों में सरलता आनी चाहिए जिससे विकास कार्य जल्दी करवाए जा सके ।	स्वीकार है। प्रत्येक कार्य के लिए हर स्तर पर नार्मस निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में दोनों कार्यकारी अभियन्ता 10 दिन के अन्दर–2 आयुक्त को प्रस्तावना प्रस्तुत करें। आयुक्त की स्वीकृति उपरांत सभी पार्षदों को इस संदर्भ में अवगत करवाया जायें।
18.	नगर निगम क्षेत्र में वार्ड नं. 1 से 20 तक जिस वार्ड में विकास कार्य होगा उस विकास कार्य की मोनीटरिंग का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित वार्ड पार्षद एवं मेयर, वरिष्ठ उप.मेयर, उप.मेयर से लेना होगा। उसके बाद ही विकास कार्य की पेमेन्ट की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।	नगर निगम द्वारा करवाए जानें वाले विकास कार्यों की गुणवता जांच हेतु प्रत्येक पार्षद द्वारा नागरिक भागीदारी अधिनियम, 2009 के अनुसार समितियों का गठन किया जाए। इस समिति का चेयरमैन सम्बंधित पाषर्द होगा। ठेकेदार के बिल की अन्तिम अदायगी सम्बधित वार्ड पार्षद की सिफारिश उपरांत ही की जायेगी।
19.	नगर निगम के सभी पार्षदों को उत्तर भारत, दक्षिण भारत में चल रही नगर निगमों के कार्यकलाप तथा कार्य प्रणाली की जानकारी के लिए पार्षदों को वहां का निरीक्षण करवाया जाए ताकि रोहतक नगर निगम में कार्यों को सूचारू रूप से चलाने में मदद मिल सके।	स्वीकार है। इस सन्दर्भ में मेयर नगर निगम, रोहतक द्वारा विस्तृत प्रस्तावना दी जायेगी।
20.	नगर निगम क्षेत्र में जो भी व्यवसायिक क्षेत्र है उस क्षेत्र का आंकलन करके क्षेत्र को व्यवसायिक क्षेत्र घोषित किया जाए।	नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायिक क्षेत्र बारे प्रत्येक पार्षद अपने सुझाव सहायक नगर योजनाकार को भिजवा दे ताकि सहायक नगर योजनाकार द्वारा अध्ययन उपरांत नियमानुसार प्रस्तावना तैयार करके आगामी बैठक में निर्णय हेतु रखा जा सके।
21.	एजेंडा में वर्णित सभी बिन्दूओं पर चर्चा उपरांत अध्यक्ष महोद्या की अनुमति से निम्नलिखित मदो को प्रस्तुत किया गया:– I. सहायक नगर योजनाकार ने बताया कि लोक निर्माण विभाग (भूमि एवं सडके) रोहतक ने अनुरोध किया है कि गॉव सुनारियां खुर्द में रोहतक बेरी सडक निर्माण के समय भूमि मालिको की मुस्तील नं0. 48 किला नं0. 2 मिन – 9 मिन में स्थित 2 कनाल 4 मरला भूमि पर सडक निर्माण का कार्य किया जा चुका है। अब नगर निगम की किला नं0 128 में 2 कनाल 4 मरला भूमि को इन भूमि मालिको की सडक में 2 कनाल 4 मरला भूमि आने के फलस्वरूप तबादला बाहमी किया जाना आवश्यक है।	स्वीकार है।

II.	सभी उपस्थित पार्षदों द्वारा निम्न प्रस्तावना की गई :–	
(i)	वर्तमान सम्पतिकर पॉलिसी अनुसार वर्ष 2012–13 के सम्पत्ति कर पर 30% छूट तथा वर्ष 2013–14 तक के सम्पत्तिकर पर 10% छूट की अवधि दिनांक 31.03.2014 तक बढ़ाई जायें तथा दिनांक 31.03.2014 के उपरान्त ही ब्याज तथा जुर्माना लगाया जाये।	सर्वसम्मति से स्वीकार है। सरकार को स्वीकृति हेतू केस भेज दिया जायें।
(ii)	जनस्वास्थ्य, जलआपूर्ति तथा बिजली सेवाएं संबधी समस्याओं/शिकायतों के निदान हेतू संबधित विभागों के अधिकारियों को भी बैठक में भाग लेने हेतू लिखा जाये।	इन विभागों से संबधित समस्याओं के बारे में पार्षदो द्वारा लिखित रूप में सूचना देने उपरांत संबधित अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर उपायुक्त रोहतक की अध्यक्षता में बैठक करवाई जायेगी।
(iii)	वृद्वावस्था पेंशन वितरण प्रबंध में सुधार बारे।	वृद्वावस्था पेंशन वितरण समस्या बारे वार्ड नं0 1,9,12,16 तथा 19 के पार्षदों की समिति गठित की गई। यह समिति सभी पार्षदों से विचार विमर्श उपरांत क्षेत्रीय कराधान अधिकारी के साथ मिलकर समस्या का समाधान करवायें।
(iv)	नगर निगम क्षेत्र में लगाये गए विज्ञापनों को हटाने बारे।	आयुक्त द्वारा शहर में लगायें गये सभी प्रकार के अनाधिकृत विज्ञापनों को हटाये जाने व उचित कार्रवाई करने हेतू भू–अधिकारी को निर्देश दिये ।
(v)	शहर में डेंगू व मलेरिया के बचाव के लिए फोगिंग करवाने बारें।	शहर में डेंगू व मलेरिया की रोकथाम के लिए सिविल सर्जन, रोहतक को सभी वार्डो में आवश्यकतानुसार फोगिंग करवाने हेतू पत्र लिखा जाए।
(vi)	सभी पार्षदो को पहचान पत्र एवं वाहनो के लिए पार्किंग स्टीकर उपलब्ध करवाने बारे।	आयुक्त, नगर निगम द्वारा सहायक नगर योजनाकार को प्रत्येक पार्षद को पहचान पत्र एवं दो वाहन पार्किंग स्टीकर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।
(vii)	दुर्घटना संभावित स्थानों पर गतिरोधक बनाने बारे।	आयुक्त, नगर निगम द्वारा कार्यकारी अभियंता–I तथा II को दुर्घटना संभावित स्थानों पर आवश्यकतानुसार गतिरोधक स्थापित करने हेतू प्रस्तावना प्रस्तुत करने बारें निर्देश दिये। इस संदर्भ में आयुक्त से स्वीकृति उपरांत ही वार्डवाईज नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाये।
(viii)	सीवर के ढक्कन लगवाने बारें।	सभी पार्षद अपने–2 क्षेत्र में आवश्यकतानुसार सीवरों के ढक्कनों बारे नोडल आफिसर को सूचित करेंगे ताकि जन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उचित व्यवस्था करवाई जा सके।
(ix)	शहर में आटो संचालन की व्यवस्था मे सुधार करने बारे।	उपमेयर की अध्यक्षता में वार्ड संख्या 1,10,18 व 19 के पार्षदों की एक समिति का गठन किया गया। समिति के सुझाव प्राप्ति उपरांत नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

	(x) बी.पी.एल. सूचि में सुधार बारे।	इस संदर्भ में प्रत्येक पार्षद पात्र व्यक्तियों की सूचि उपायुक्त, रोहतक के कार्यालय में भिजवायें। सूचि अनुसार सर्वे करवाकर नियामानुसार कार्रवाई की जायेगी।
	(xi) घर–घर से कूडा उठाने बारे।	इस व्यवस्था के लिए मेयर नगर निगम द्वारा पार्षदों की समिति का गठन किया जायें तथा समिति की रिर्पोट आने पर ही आगामी कार्रवाई की जाये।

आयुक्त नगर निगम रोहतक ने सभी उपस्थित पार्षदों को अनुरोध किया कि नगर निगम तथा अन्य विभागों से सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याओं/शिकायतों/सुझावों को लिखित रूप में क्षेत्रीय कराधान अधिकारी–कम– नोडल आफिसर को दे ताकि उनका जल्द से जल्द निपटान/निदान करवाया जा सके। आयुक्त नगर निगम रोहतक ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी–कम– नोडल आफिसर को निर्देश दिये कि पार्षदों से लिखित रूप में प्राप्त समस्याओं/शिकायतों/सुझावों को संबधित विभागों को भिजवायें तथा रिपोर्ट लेकर पार्षदों को भी सूचित करें।

इसके उपरांत मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की धोषणा की।

दिनांकः 13.11.2013

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

कमांक MCR/NT/2013/00064-00069 दिनांकः13.11.2013

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित हैः–

1. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, चण्डीगढ़।
3. उपायुक्त, रोहतक।
4. सभी पार्षदगण, नगरनिगम, रोहतक।
5. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
6. निजि सहायक, आयुक्त को आयुक्त, नगर निगम रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।